

अजुनो-कृष्ण

आला हजरत इमाम-ए-अहले सुन्नत
इमाम अहमद रजा
रदियल्लाहो तआला अन्हो



रजा एकेडमी मुंबई-3

क्रब्र में लहेराओंगे ता हण चश्मे नूर के
जल्वा फ़रमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की
(अर्ज़ :- आला हजरत)

- ✚ क्रब्र पर दफन के बाद अज्ञान देना जाइज है या नहीं ?
- ✚ क्रब्र पर अज्ञान देने की कोई दलील है ?
- ✚ क्रब्र पर अज्ञान देने का मक्सद क्या है ?
- ✚ क्रब्र पर अज्ञान देने से क्या फ़ायदे है ?

इन तमाम सवालों का तफ़सीस से जवाब यानी हि स. १३०७
(१९०, साल पहले) लिखि गई ऐतिहासिक किताब :-

“इज्ञानुल-अज्ञे-फि-अज्ञानिल-क्रब्र”

अज्ञाने-क्रब्र

-: तसनीफ़ :-

अअूला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ादिरी
फ़ाज़िले बरैलवी (अलैहिरहमा)

-: बफैज़ :-

हुज़ूर मुफितए अअूजम हज़रत अल्लामा शाह
मुहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा क़ादिरी नूरी (अलैहिरहमा)

नाशिर : रज़ा एकेडमी

२६, कांबेकर स्ट्रीट, मुम्बई-३. फोन नं.: ३७३७६८९-३७०२२९६

सिलसिलए इशाअत नं. २२८

(जुमला हुकूक वहक्के नाशिर महफूज़).

नाम किताब	: अज्ञाने कब्र
तस्नीफ़	: अअूला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी
तर्जमा	: अब्दुस्सत्तार हबीब हमदानी
मन इशाअत	: १९९९
नाशिर	: रज़ा एकेडमी, मुम्बई



अअूला हज़रत फ़ाजिले बरेलवी अलैहिरहमा की तस्नीफ़ कर्दा अनवारुल वशारति फ़ी मसाइलिल हज़े वज़ियारति यानी हज़ व ज़ियारत अब हिन्दी में भी शाया होकर मंज़रे आम पर आ चुकी है।

नाशिर : रज़ा एकेडमी

२६, कावेकर स्ट्रीट, मुम्बई-३. फोन नं.: ३७३७६८९-३७०२२९६

मिलने का पता : फ़ास्लकिया बुक डिपो

४२२, मटिया महल, जामेअ मस्जिद, दिल्ली - ६ फोन - ३२६६०५३

रज़ा एकेडमी ने
सरकार अअूला हज़रत के १०० रिसालों
का सेट (उद्दू) में

एक साथ शाया करने का शरफ़ हासिल किया है। ज़खरत मंद हज़रात

फ़ास्लकिया बुक डिपो

४२२, मटिया महल, जामेअ मस्जिद, दिल्ली - ६
से राब्ता क्राएम करें।

प्रस्तावना

मैयत को दफन करने के बाद कब्र पर अज्ञान देने के मरअले पर हर जगह आज कल विवाद चल रहे हैं। ये विवाद ने, आज कल उग्र रूप धारण कर लिया है। वहावी - तबलीगी जमाअत के अनूयायी इस विवाद के संदर्भ में आक्रमक तथा जनूनी अपना कर कब्र पर अज्ञान देने से लोगों को रोकते हैं, वल्कि झगड़े का रूप दे कर कब्रस्तान की निरप शांति, में आराम करनेवालों को भी खलल पहोंचाते हैं।

कब्र पर अज्ञान दने की प्रणालिका सदीयों से कौमे मुस्लिम में प्रचलित है। लेकिन उस "जाइज" और 'नेक' कार्य को वहावी तबलीगी जमाअत के अनूयायी "ना-जाइज" तथा "षिदअत" कहे कर उस का भारी विरोध कर रहे हैं।

कब्र पर अज्ञान देना योग्य है या नहीं ? इस मरअले में लोग द्विधा मे हैं। लेकिन माहितगार लोगोंको के लिए कब्र पर अज्ञान देने के जाइज होने के बारे में कोई शंका नहीं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मोहद्दिषे वरेल्यी रदीअल्लाहो के समय में कब्र पर अज्ञान देने के संदर्भ में वहावी और देववंदी वर्ग के अनूयायीओं ने बहुत हंगामा मचाया था। इमाम अहमद रज़ा से कब्र पर अज्ञान देने के संदर्भ में सवाल पूछने में आया, तो आप ने "इज्ञानुल - अज्ज - फ्री - अज्ञानिल - कब्र" नाम की किताब स. हि. १३०७ में यानी आज से ११०, साल पहले लिख कर विरोध कर ने वालों को खामोश कर दिया। इस किताब में आपने दलीलों के अंवार लगा दिये और कब्र पर अज्ञान देना जाइज है, ये सावित कर दिया।

उपरोक्त किताब आप ने स. हि. १३०७ में लिखि थी। जिसको प्रकाशित होने को आज ११० साल हो गए हैं। लेकिन आज तक वहावी - तबलीगी जमाअत के पेशवा जवाब नहीं दे सके। ये बात इस बात की खुल्ली दलील है कि ये लोग जवाब लिखने की शक्ति नहीं रखते।

इस किताबं की ऊर्दू भाषा में आज तक बाइस (२२)

आवृति और इस के गुजराती अनूवाद की पांच (५) आवृति प्रकाशन हो चूकी हैं। इस किताब का सौ प्रथम गुजराती अनुवाद मैं ने इ.स. १९७२ (२४, वर्ष पूर्व) किया था और खुल्ली चुनौती दी थी के इस किताब में वर्णन की ही दलीलें अगर कोई खंडित कर देगा तो उसे दस हजार (१०,०००) रुपये का इनाम दिया जायेगा लेकिन आज तक वो चुनौती का किसी ने स्वीकार नहीं किया। वहाबी - तबलीगी जमाअत के अनूयायी दलीलों की रोशनी में इस किताब का जवाब देने में कायर पुरवार हुए हैं।

इस किताब में कुल १५ (पंदरह) दलीलों में आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा मोहद्दिषे बरेल्वी ने कुरआन, हदीष तथा बुजुर्गाने दीन के कथनों द्वारा जो स्पष्टता की है और क़ब्र पर अज्ञान देना जाइज़ पुरवार किया है, उसका खड़न करने की अगर विरोधी दल में शक्ति है, तो वो कुरआन, हदीष तथा अइम्म - ए - दीन की आधारभूत किताबों की मज़बूत दलीलें पैश कर के आला हज़रत की दलीलों का खंडन कर दिखाओं।

दलील के मैदान में हमेंशा पीठ बता कर भागने की आदत रखने वाले वहाबी - तबलीगी पंथ के अनूयायी इल्मी बहेष (चर्चा) से मुंह मोड़ कर सिर्फ हड्डधर्मी, ज़िद तथा गुंडागर्दी का मार्ग अपना कर सिर्फ "बिदअत है" - "बिदअत है" की रट लगाते हैं और अपने दावे को सत्य पुरवार करने के लिए लड़ाइ - झाड़े का स्वरूप धारण कर के क़ब्र पर अज्ञान देन से रोकने की चेष्टा करते हैं। जब उनसे पुछने में आता है कि जनाब। आप क़ब्र पर अज्ञान देने से क्यूँ रोकते हैं? तो वो सिर्फ यही प्रत्युत्तर देते हैं कि ये बिदअत है। और शरीअत में इस का कोई सुवृत्त नहीं है। इस के इलावा इन के पास अेक भी ऐसी दलील नहीं है कि जिस से पुरवार होता हो कि क़ब्र पर अज्ञान देना "ना - जाइज़" तथा "मना" हो।

हाल में दिनांक ७-८-१९९६ से १२-८-१९९६ तक मैं महाराष्ट्र राज्य के परभनी जिल्ले के गंगाखेड, सायगांव, कंधार, मोमीनाबाद (अंबा जोगाइ) शहरों में तकरीर के प्रोग्राम पर गया था। यहां पर यही अज्ञाने क़ब्र का मस्अला विवादास्पद था। वहाबी - तबलीगी पंथ के अनूयायी इस

मस्तके के संदर्भ में जनूनी वलण अपनाए हुए थे और वातावरण गरम था । दिनांक ११-८-१६ तथा १२-८-१६ दो दिन मैं ने गंगाखेड़ में इस मस्तके पर अपनी तकरीर में गुफ़तगू की और क्रब्र पर अज्ञान देना जाइज़ और मुस्तहब सावित किया और चुनौती भी दी के "ना - जाइज़" कहने वाले अपनी दलीलें पैश करें । हालांकि मज़लिस में बहुत सारे तबलीगी लोग थे लेकिन सब खामोश रहे । इस मज़लिस में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा की ये किताब मैं ने रजू की थी और वचन दिया था कि इन्हाँ अल्लाह टूंक समय में इस को हिन्दी अनूवाद में प्रकाशन करेंगे । उस वचन (वादे) को 'वफ़ा' करते हुए ये किताब हिन्दी अनूवाद के स्वरूप में इस वक्त आप की सेवा में प्रस्तुत कर के आनंद की लागणी अनुभव कर रहा हूँ ।

अंत में वांचक वर्ग से नम्र विनंती है कि इस किताब का आरंभ से अंत तक एक चित्त से वाचन करने के बाद एकांत में इस पर चिंतन तथा मनन करके स्वयं अपने दिल से प्रश्न करें कि क्या ये नेक और मुस्तहब काम कभी "ना - जाइज़" हो सकता है ? तो खूद तुम्हारे दिल से यही आवाज़ आयेगी कि जाइज़ है ।.....बेशक जाइज़ है ।

जो लोग दफ़न के बाद क्रब्र पर अज्ञान देने को मना और विदअत कहते हैं, उनसे सिर्फ़ इतना ही कहेना है कि जो तुम अपने दावे में सच्चे हो तो इस किताब में रजू की गइ दलीलों को इस के जैसी ही मजबूत दलीलों द्वारा खंडित कर के दिखा दो । अन्यथा अधर्मी, पक्षपात तथा पुर्वग्रह जैसे दुषाणों को तिलांजली दे कर, सत्य का स्वीकार करने में एक पल का भी विलंब न करें । इसी में हमारे लिए दुनिया और आख़ेरत की भलाइ है ।

खुदा सब मुसलमानों को इमान की सलामती के साथ नेक अमल करने की तथा सत्य (हक) का स्वीकार करने की नेक तौफ़ीक अत्ता फ़रमाए ।

नागपूर

दि. २३-८-१९९६

'आमीन'

बारगाहे 'रजा' का अदना सवाली
अब्दुस्सतार हबीब हमदानी - पोरबंदर
(बरकाती - रज़वी - नूरी)

अज्ञाने - कब्र

सवाल :-

क्या फरमाते हैं ओलोमा - अे - दीन इस मरअले में कि दफन के समय कब्र पर जो अज्ञान कही जाती है, वो शरअन जाइज़ है या नहीं?

जवाब :-

“विरिमल्लाहिर्ईहमानिर्हीम”

“नहमदोदु - व - नुसल्ली - अला - रसूलेहिल - करीम”

कुछ ओलोमा - अे - दान ने कब्र में मैयत को रखने के समय अज्ञान देने को सुन्नत फरमाया है जैसे की अल्लामा इब्ने हज़र मक्की तथा अल्लामा ख़ेरुल मिल्लते वहीन रमली ने अपनी किताब “शरहे अबाब” तथा “हासिया वेहरुरॉइक” में वर्णन किया है।

उपरोक्त प्रश्न में जिस अज्ञान के संदर्भ में पूछा गया है ऊस का जाइज़ होना निःशंक है। शरीअते मुतहहरा में उस के मना होने पर हरगिज़ कोई दलील नहीं। और जिस कार्य से शरीअत ने मना न किया हो, वो कार्य कदापी मना नहीं हो सकता। फ़कत यही एक दलील कब्र पर अज्ञान देना जाइज़ होने के लिए काफ़ी है। जो लोग कब्र पर अज्ञान देने को मना करते हैं, वह शरीअत से अपना दावा पुरवार कर दिखाएँ।

यहां दलीलों के मैदान में आ कर मैं अनेक दलीलों से कब्र पर अज्ञान के योग्य होने को शरीअते मुतहहरा से पुखार कर सकता हूं। निम्न में चंद दलीलें आप की सेवा में प्रस्तूत हैं।

दलील नं. १

प्रचलित है कि जब वन्दे को कब्र में रखा जाता है, और “मुनकर - नकीर” सवाल करते हैं, तब मरदुद - “शैतान” यहां भी विअप् ड़ालता है और जवाब देन में बेहकाता है।

इमाम तिरमिजी मुहम्मद इब्ने अली अपनी किताब ”नवादेस्ल

- 'कुसूल' में इमामे अज़ल, हज़रत सुफियाने सूरी (रहेमतुल्लाह अलैह) से रिवायत करते हैं कि :-

"जब मुर्देसे सवाल होता है कि 'तेरा रव कौन है ?' तब शैतान आता है और अपने, प्रति इशारा करता है कि 'मैं तेरा रव हूं' ! इसी लिए हम को आदेश दिया गया है कि मैयत जवाब में सावित कदम (अडग) रहे इस लिए दुआ करनी चाहिये ।"

इमाम तिर्मीज़ी फरमाते हैं कि :-

ऐसी हदीषें समर्थन करती हैं कि जिन हदीषों में वर्णन है कि हूजूर सल्लल्लाहो अलैह' वसल्लम मैयत को दफ़न करते समय दुआ करते थे कि "इलाही ! इसे शैतान से बचा ।" अगर जो क़ब्र में शैतान का दख़ल (हस्तक्षेप) नहीं है तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम ने ये दुआ क्यूँ की ?

सहीह हदीषों से पुखारहै कि अज़ान से शैतान दफ़ा (दूर) होता है ।

ठिक्कास :- सहीह बुखारी तथा मुस्लिम विगरे' में हज़रत अबू - हूरैरा रदीअल्लाहो तआला अन्होसे रियायत है कि हूजूरे अकदस सल्लल्लाहो तआला अलैह वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि :-

"जब मुअज़्जीन अज़ान कहेता है तब शैतान अपनी पीठ घूमा कर वायू (हवा) छोड़ता हुआ भागता है"

ठिक्कास :- सहीह मुस्लिम शरीफ की हदीष में हज़रत ज़ाविर रदीअल्लाहो अन्होसे रियायत है कि हूजूरे अकदस सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि :-

"जब अज़ान होती है तब शैतान छत्तीस (३६) माईल (मिल) तक दूर भाग जाता है ।"

ठिक्कास :- इमाम अबूल कासिम सुलयमान इब्ने अहमद तिब्रानी ने अपनी मरहूर किताब "अवसते - मआजीम" में हज़रत अबू - हूरैरा रदीअल्लाहो अन्हो द्वारा पुरवार किया है कि हदीष में आदेश दिया गया है कि :-

"जब शैतान का खटका (संदेह) हो, तो तूरत ही अज़ान कहो, वह खटका दफ़ा (नष्ट) हो जायेगा ।"

मैं ने अपनी किताब “नसरीमुल - सबा - पी - अद्वल - अज्ञाना - यहवेलुल - वबा” में इस संदर्भ की अनेक हदीषों वर्णन की हैं।

जब यह पुरवार हो गया कि दफ्न के समय शैतान दख़ल देता है और अज्ञान से शैतान भागता है। हदीष का आदेश है कि शैतान को दफा करने (भगाने) के लिए अज्ञान कहो।

तो यह अज्ञान के जो क़ब्र पर देने में आती है, वह हदीषों से अनुमानित कर के ही दी जाती है, वल्के नबी के हुक्म के मुताबिक है। यह अज्ञान देने से मुसलमान भाई (मैयत) की मुनकर - नकीर के प्रश्नों के उत्तर देने में उमदा सहायता है और मुसलमान भाई की सहायता करने की कुरआन और हदीषों में बहुत प्रसंशा की गई है।

दलील नं. २

हदीष :- इमाम अहमद, तिग्रानी तथा बयहकी हज़रत ज़ाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रदीअल्लाहे अन्हो से रिवायत करते हैं कि :-

“जब हज़रत सअद इब्ने मआज़ रदीअल्लाहो अन्हो को दफ्न किया गया और क़ब्र बन्द कर दी गई, तब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम बहुत समय तक “सुब्हानल्लाह । सुब्हानल्लाह ।” फरमाते रहे और सहावाओं किराम भी हुज़ूर के साथ साथ सुब्हानल्लाह - सुब्हानल्लाह कहते रहे। इस के बाद हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम “अल्लाहो अकबर । अल्लाहो अकबर” फरमाते रहे। और सहावाओं किराम भी हुज़ूर के साथ साथ अल्लाहो अकबर - अल्लाहो अकबर कहते रहे। इस के बाद सहावाओं किराम ने बारगाहे रिसालत में अर्ज़ की “या रसूलल्लाह आप ने आरंभ में “तरबीह” (सुब्हानल्लाह) और अंत में “तकबीर” (अल्लाहो - अकबर) फरमाया, इस का कारण क्या हय ? इरशाद फरमाया कि “यह नैक मर्द (हज़रत सअद) पर उनकी कब्र तंग हो गई थी, यहां तक के अल्लाह तआला ने उनसे यह तकलीफ दूर फरमा दी और क़ब्र को विशाल (चौड़ी) फरमा दी।

★ अल्लामा तिब्री “शरहे मिश्कात शरीफ” में फरमाते हैं कि हदीष का भावार्थ यह है कि मैं और तुम सब एक साथ मिल कर सतत “अल्लाहो - अकबर । अल्लाहो - अकबर” तथा “सुब्हानल्लाह ।

“सुब्हानल्लाह” कहते रहे, यहां तक के अल्लाह तआला ने इन को तंगी से नज़ात अपर्ण की ।

वर्णनीय हदीष से पुरवार हुआ के सरकारे दो आलम सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम ने ख्यय “मैयत” पर आसानी हो इस आशय से दफ़न के बाद क़ब्र पर “अल्लाहो - अकबर । अल्लाहो - अकबर ।” सतत फरमाते रहे । यही शब्द “अल्लाहो - अकबर” अज्ञान में छे (६) मरतबा है। पुरवार हुआ कि यह कार्य (क़ब्र पर अज्ञान) सुन्नत के अनूरूप है । विशेष में अज्ञान में इन शब्दों से कोई हानी नहीं और यह कार्य सुन्नत के विस्त्र भी नहीं, बल्कि विशेष फायदा कारक है, क्यूं कि अल्लाह की रहमत के आगमन के लिए “ज़िक्रे - खुदा” करना था ।

यह तरीका अमीरुल मोअमेनीन हज़रत उमर फारुके आज़म, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ऊमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, हज़रत इमाम हसने मुजतबा तथा अन्य सहाबा रवीअल्लाहो अन्हुम अजमइन के तरीके के मुताविक है ।

★ फिकह की आधारभूत किताब, “हिदायां” में है कि :-

“वर्णनीय शब्दों में कुछ भी कम न करना चाहिये, क्यूंकि हुजूर सल्लल्लाहो अलैह, वसल्लम से इसी तरह वर्णन किया गया है, इस लिए उस में कोई शब्द कम न करना चाहिये, अलवत,, अगर उसमें विशेष शब्द मिलाने में आँखें तो योग्य (जाइज़) है, क्यूंकि उस में खुदा की तारीफ और बंदगी का वर्णन है । और खुदा की तारीफ और बंदगी व्यक्त करने के लिए अन्य शब्दों का समावेश करना मना (निषेध) नहीं परंतु प्रसंशनीय है ।

मैं ने अपनी किताब “सिफाऊल - लज़ैन - फी - कवनित - तसाफोहे - बे - क़फफिल - यदैन” में इन सब बाबतों का विस्तृत वर्णन किया है ।

दलील नं. ३

सुन्नत, हदीष और फिकह से पुरवार हय कि नज़अ (मृत्यु के समय) की हालत में मृतक के पास “ला - इलाहा - इल्लल्लाह” कहते रहेना चाहिये, क्यूंकि यह सुनकर उसको कल्पा याद आ जाए ।

हदीष :- हदीष मुतवातिर में अहमद, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिझी, नसाई तथा इब्ने माज़ा ने हज़रत अबू सईद खुदरी, हज़रत अबू हुरैरा तथा उम्मुल मोअमेनीन हज़रत आओशा (रवीअल्लाहो अन्हुम) से रिवायत करते

हैं कि हूँजूरे अकदस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि :-

“तुम्हारे मुर्दों (मृतकों) को ”ला - इलाहा - इल्लल्लाह सिर्खाओं”

★ जो शख्स (व्यक्ति) सकरात (मृत्यु का समय) की हालत में है, वह मुर्दे की तरह है। उसको कल्मा सिखाने की आवश्यकता इस लिए हय कि खुदा के फज़लो - करम से उसका ख़ातमा (जीवन का अंत) कल्मे पर हो और वह शैतान के जाल में फ़ंस कर भूलने और वहकने से सुरक्षित रहे।

तथा

★ जो शख्स दफ़न हो चुका है वह वास्तव में मुर्दा है। उसको कल्मा सिखाने की आवश्यकता इस लिए है कि खुदा के फज़लो - करम से उसे मुनकर - नकीर के सवालों का ज़वाब याद आ जाए और वह शैतान के वहेकाने से सुरक्षित रहे।

निःशंक ! अज्ञान में कल्मा “ला इलाहा - इल्लल्लाह” तिन मरतवा है, बल्कि समग्र अज्ञान के शब्द मुनकर - नकीर के सवालों के जवाब बताती है।

मुनकर - नकीर के तीन सवाल होते हैं।

1) मर्दबुका - तेरा रव कौन है ?

2) मा - दीनोका - तेरा दीन कौन सा है ?

3) मा - कुन्ता - तकूलो - फी - हाजर्रजुले - तूं इस मर्द अर्थात नबी सल्लल्लाहो अलैहे के लिए क्या अकीदा रखता था।

★ अब ! अज्ञान के आरंभ में :-

“अल्लाहो अकबर - अल्लाहो अकबर

अल्लाहो अकबर - अल्लाहो अकबर”

तथा.....

“अशहदो - अल - ला - इलाहा - इल्लल्लाह

अशहदो - अल - ला - इलाहा - इल्लल्लाह”

और अज्ञान के अंत में :-

“अल्लाहो अकबर - अल्लाहो अकबर”

ला - इलाहा - इल्लल्लाह”

यह शब्द आते हैं। ये तमाम शब्द मुनकर नकीर के प्रथम प्रश्न “मर्ट्ट्वुका” (तेरा रब कौन है) का जवाब सिखायेंगे। यह शब्द सुनकर याद आयेगा के मेरा रब अल्लाह है।

★ अज्ञान में यह शब्द भी हंय कि :-

“हय्या अलस्सलाह - हय्या अलस्सलाह

हय्या अल्लफलाह - हय्या अल्लफलाह”

ये शब्द मुनकर - नकीर के दूसरे सवाल “मा - दीनोका (तेरा दीन (धर्म) क्या है) का जवाब सिखायेंगे। यह शब्द सुनकर याद आयेगा कि मेरा दीन वो था, जिस में नमाज़ दीन का रुकन और पाया था। “अस्सलातो - इमादुद - दीन” (अर्थात् : नमाज़ दीन का स्थंभ है - हदीष -)

★ अज्ञान के मध्य में है कि :-

“अथहदो - अच्छा - मुहम्मदुर्सूलुल्लाह

अथहदो - अच्छा - मुहम्मदुर्सूलुल्लाह”

ये शब्द मुनकर - नकीर के तीसरे सवाल “मा - कुन्ता - तकूलो - फी - हाज़र - रजूले” का जवाब सिखायेंगे, यह शब्द सुन कर याद आयेगा के मैं इन को अल्लाह का रसूल समझता था।

तो पुरवार हुआ कि दफन के बाद अज्ञान देना, इरशादे नबी का पालन है। जिस का वर्णन हुज़रे पाक सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम ने हदीष - मुतवातिर में किया है।

यहां पर एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि मुर्दे को सिखाने के लिए अगर अज्ञान कहने में आती है, तो मुर्दा किस तरह (क्यूँ) सुन सके ? इस, प्रश्न का विस्तृत उत्तर मेरी किताब “हय्यातुल - मवाल - फी - बयाने - सिमाइल - अमवात” में मौजूद हय। इस किताब में मैं ने पच्चहत्तर (७५) हदीष तथा तीन सो पच्चहत्तर (३७५) बुझूर्गाने - दीन के कथनों द्वारा पुरवार किया है कि मुर्दे का सुनना, देखना, समझना यह सब सत्य और हक्क है।

दलील नं. ४

हृदीष :- अबू - यअला, हज़रत अबू हुरैरा रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत करते हैं कि हुजूरै अकदस सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम फरमाते हंय कि :-

“ऊतफेऊल - हरीका - बित्तकबीरे” अर्थाँस :- आग को तकवीर से बुझाओ”

हृदीष :- इब्ने अदी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से तथा हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास तथा इब्नु स्सुन्नी इब्ने असाकिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस (रदीअल्लाहो अन्हुम) से रिवायत करते हैं कि हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि :-

“जब आग देरवो तब ‘अल्लाहो - अकबर’ अतिशय कहते रहो, के वो आग को बुझा डालता हय”

अल्लामा मनावी, “तफ़सीर जामए सर्गीर” में फरमाते हैं कि तकबीर कहे यानी खुब ‘अल्लाहो अकबर - अल्लाहो अकबर’ कहो, क्यूंकि ऐसा करने से आग बुझ जायेगी ।

मुल्ला अली कारी अलैहे रहमतुल बारी, इस हृदीष की शरह (अनुसंधान) में फरमाते हैं कि हुजूरे अकदम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम कब्र पर बहुत समय तक अल्लाहो - अकबर कहते रहे वह हृदीष और यह हृदीष कि जिस में आग देख कर तकवीर कहने का वर्णन है, यह दोनों हृदीषों का आदेश व आशय ‘ग़ज़बे इलाही’ याने खुदाई क्रोध को शांत करने के लिए है । इसी कारण अग्नि देख कर तकबीर (अल्लाहो - अकबर) कहना मुस्तहव है ।

आधारभूत किताब ‘वसीलतुद्वजात’ में “हरतुल फिकह” से हवाला से उल्लेख है कि :- कब्रस्तान वालों पर तकबीर कहने में हिकमत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम का इरशाद है कि “इज़ा - रअयतुमुल - हरीका - फ़ - कब्बेर” अर्थात् आग लगे और तुम अपने हाथों से उसे बुझा न सको तो तकबीर कहो, क्यूंकि तकबीर की वरकत से आग बुझ जायेगी । तो कब्र का अज़ाब

भी आग से होता है और उसे हम हमारे हाथों से बुझा नहीं सकते, इस लिए तकवीर कहनी चाहिये, कि तकवीर के कारण दोजख (नक्क) की आग से छुट कारा प्राप्त हो।

यहाँ पर पुरवार हुआ कि मुसलमान की कब्र पर तकवीर (अल्लाहो अकबर - अल्लाहो अकबर) कहेना एक प्रकार की सुन्नत ही है। तो कब्र पर अजान देना भी सुन्नत के अनूरूप ही है। अजान में अल्लाहो अकबर के इलावा जो विशेष शब्द हैं वह मना नहीं बल्कि फायदाकारक हैं जिस का वर्णन दलील नं. २ में हो चुका है।

दलील नं. ५

हृदीष :- इन्हे माजा तथा बयहकी ने सईद इन्हे मुस्यद से रिवायत किया कि :-

"मैं हजरत अब्दुल्लाह इन्हे ऊमर के संग एक जनाज़ा में गया। जब मैयत को कबर में रखा गया तब हजरत अब्दुल्लाह इन्हे ऊमर ने कहा कि "बिस्मिल्लाहे - व - फी - सल्लिल्लाहे" और जब कब्र बन्द करने लगे तो दुआ की कि "इलाही ! इसे (मृतक को) शैतान से बचा और कब्र के अज्ञाव से सुरक्षित रख। इस के बाद हजरत अब्दुल्लाह इन्हे ऊमर ने फरमाया कि यह मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम से सुना है।

❶ इमाम तिर्मिज़ी, अम्र इन्हे मुर्दा तावई से रिवायत करते हुये कि जब मैयत को कब्र में रखा जाता तब सहावा - अे - किराम तथा तावइन यह हुआ करने को मुस्तहब समझते थे कि "इलाही ! इसे शैतान से पनाह दे"

❷ इन्हे अली शयवा के जो इमाम बुखारी तथा इमाम मुस्लिम के ऊस्ताद हंय, वह अपनी "मुसन्नफ" में हजरत ख़यसमा से रिवायत करते हैं कि सहावा - अे - किराम जब किसी मैयत को दफन करते तब ये दुआ करने को मुस्तहब समझते थे कि "अल्लाह के नाम से अल्लाह की राह में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की मिल्लत पर, इलाही ! इसे (मैयत को) अज्ञाबे कब्र, दोजरव तथा मलऊन शैतान से पनाह दे"

वर्णनीय हृदीषों से पुरवार हुआ कि वह समय यानी दफनके तूरंत बाद का समय शैतान की दखलगिरी का समय है और शैतान को दफे

(दूर) करना सुन्नत है। दलील क्रमांक नं. २ से पुरवार हो चुका है कि शैतान को दूर करने के लिए अज्ञान देना उत्तम तरीका है। तो सिध्द हुआ कि कब्र पर अज्ञान देना शरीअत के मुताबिक है।

दलील नं. ६

हृदीष :- अबू दाऊद, हाकिम तथा बयहकी ने अमीरुल मोअमेनीन हज़रत ऊरमान गनी रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत किया कि :-

“जब मुर्दे को दफ़न कर देते थे ये तब कब्र के पास खड़े रहेते और सहाबा - ओ - किराम से फ़रमाते कि तुम्हारे भाई के लिए दुआ करो कि नकीरैन के जवाब देने में बाबित कदम (अडग) रहे, क्युंकि अब उस से सवाल होगा ।”

हृदीष :- सईद इब्ने मन्सूर ने अपनी ‘सूनन’ में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मरऊद रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत किया कि :-

“जब मुर्दे को दफ़न करने के बाद कब्र बराबर बद कर देने में आती तब हुजूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम कब्र के पास खड़े हो कर दुआ मांगते के इलाही । हमारा ये साथी तेरा मेहमान हुआ है और दुनिया को अपनी पीठ के पीछे, छोड़ कर आया है । इलाही ! सवाल (नकीरनै के सवाल) के समय इस की जबान को दुरुस्त (ठीक) रख और कब्र में उस पर ऐसी बलाओं (आज़माइश) मत डाल कि जिसे सहन करने की उस में शक्ति न हो ।”

वर्णनीय हृदीषों तथा दलील क्रमांक - ५ द्वारा पुरवार हुआ कि दफ़न के बाद दुआ करना सुन्नत है।

★ इमाम मुहम्मद इब्ने अली हकीम तिर्मिजी दफ़न के बाद दुआ करने की हिक्मत (फ़ायदा) के अनुसंधान में फरमाते हंय कि :- “जनाज़ा की नमाज़ का जमाअत के साथ मुस्लीमों का पढ़ना, उसके लिए यह दृष्टांत है कि ओक लश्कर (सेना) बादशाह के द्वार पर भलामण ओर क्षमा भी विनंती के लिए हाज़िर हुआ है । और कब्र के पास खड़े होकर मैयत के लिए हुआ करना ऐसा है कि अब वह सेना मैयत की सहायता कर रही है। क्युंकि वह समय कहीन है । कब्र के अन्जाने वातावरण में स्थायी होना और

नकीरैन के सवालों के जवाब देने का अवसर है ।

(हवाला :- “शारहुरसुदूर”, लेखक :- इमाम जलालुद्दीन सुयूती)

अब मैं नहीं सोच सकता कि विश्व में कोई ऐसी भी व्यक्ति हो, जो दुआ का मुस्तहब होना स्वीकार न करें ।

★ इमाम आजेरी फ़रमाते हंय कि दफ़न के बाद थोड़ी देर के लिए खड़ा रहना और मैयत के लिए दुआ करना मुस्तहब है ।

इसी प्रकार का वर्णन इस्लामी साहित्य की मशहूर तथा विश्वसनीय किताबें जोहरा, नयेरा, दुर्भ मुख्तार तथा फ़तावा आलमगिरी में उपलब्ध है ।

★ आश्चर्य तो इस बात पर है कि कब्र पर अज्ञान देने की मनाई करने वाले वर्ग के इमाम षानी (दूसरे इमाम) यानी मोल्वी इस्हाक दहेल्वी ने अपनी किताब “मिअत्ता - मसाइल” में दफ़न के बाद कब्र के पास खड़े रहे कर दुआ मांगने के संदर्भ में फ़तहुल कदीर, बेहरुरॉइक, नेहरुल - फाइक और फ़तावा आलमगिरी जैसी किताबों से सिध्द किया है कि “तज्ज्ञ के पास रँडे रहकर दुआ मांगना सुन्नत से साबित है ।”

परंतु.....

वह मोल्वी साहब इला न समझ सके कि अज्ञान भी दुआ है, बल्कि उत्तम दुआ है । क्यूंकि अज्ञान ज़िक्रे इलाही है और हर ज़िक्र दुआ है । तो अज्ञान भी पुरवारित सुन्नत का अेक भाग पुरवार हूई ।

मुल्ला अली कारी अलैहे रहमतुल बारी “मिरकात शारहे, मिरकात” में फरमाते हंय कि :- “कुल्लो - दुआ - ज़िकर्स्जन - व - कुल्लो - ज़िकरिन - दुआ” अर्थात हर दुआ ज़िक्र है और हर ज़िक्र दुआ है ।

हृदीष :- हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रहीअल्लाहो अन्हो से रिवायत है कि :- “अफ़ज़लुद - दुआओ - अल - हम्हो - लिल्लाह” अर्थात सब दुआओं में अफ़ज़ल (उत्तम) दुआ अलहम्हो लिल्लाह है । (तिर्मिज़ी)

हृदीष :- सहीहैन में है कि अेक प्रवास में लोगों ने बड़े बड़े आवाज़ से ‘अल्लाहो - अकबर, अल्लाहो - अकबर’ कहेना शुरू किया । नकी-ओ-करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया, लोगों । अपनी जानों

पर नरमी करो । तुम किसी बहेरे या गैर हाज़िर से दुआ नहीं करते परंतु सुनने वाले और देखने वाले (रब) से दुआ करते हो ।

देखो ! उपरोक्त दोनों हीषों में हुजूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने “अल हम्दो लिल्लाह” तथा “अल्लाहो अकबर” ये दोनों कल्मों (शब्दों) को ‘दुआ’ कहा है । तो अब अज्ञान के दुआ तथा सुन्नत होने में क्या शंका रही ?

दलील नं. ७

ये तो सिद्ध हो गया कि दफन के बाद मैयत के लिए दुआ मांगना सुन्नत है । ओलोमा फरमाते हंय कि दुआ मांगने के तरीके में यह भी है कि दुआ से पहले कोई नेक अमल कर लेना चाहिये ।

★ इमाम शम्सुद्दीन मुहम्मद इब्ने बज़रीन की किताब “हिरन्ये - हरीन” में है कि दुआ मांगने से पहले कोई नेक अमल करना यह दुआ के आदाव में से हैं । अल्लामा अली कारी अपनी किताब “हिरजे सभीन” में फरमाते हंय कि इस हीष को अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा तथा इब्ने हब्बान ने हज़रत अबुबकर सिद्दीक रहीअल्लाहो अन्हो से रिवायत करना साबित है ।

इस बात में शंका नहीं कि अज्ञान ‘नेक - अमल’ है, दफन के बाद दुआ मांगी जाती है और दुआ के मांगने से पहले ‘नेक अमल’ (अज्ञान) करना सुन्नत के मुताबिक है ।

दलील नं. ८

हीष :- अबू दाऊद, इब्ने हब्बान तथा हाकिम ने हज़रत इब्ने सअदस्साअेदी रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत किया कि :-
“रसूल अकरम सल्लल्लाहो अलैहे, वसल्लम ने फ़रमाया हय कि “खिनताने - ला - तूरददाने - अद - दुआओ - इन्दल - निदाओ - य - इन्दल - बा’से” अर्थात् दो दुआओं रद नहीं होती, एक अज्ञान के समय और दूसरी जेहाद में, के जब काफ़िरों से जंग (युद्ध) हो रही हो ।

हीष :- अबू यअला, हाकिम, अबू दाऊद तथा अन्यो ने हज़रत अनस इब्ने मालिक रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत किया कि :-

“हुजूरे अकदस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फरमाते हैं ”इज़ा

- नादल - मुनादी - फोतेहत - अब्बाबस - रमाओ - व -
उस्तोजीबद - दुआ“ अर्थात् - जब अज्ञान देनेवाला अज्ञान देता है, तब
आसमान के दरवाजे खोल दिये जाते हैं और दुआ क्रबूल होती है ।”

उपरोक्त दोनों हदीषों से पुरवार दुआ कि अज्ञान देने से दुआ क्रबूल होती है दफ्तर के बाद अल्लाह से दुआ मांगनी होती है, तो दुआ क्रबूल हो ऐसा काम करना (यानी कि अज्ञान देना) बहूत ही अच्छा काम है।

दलील नं. ९

हृषीद :- इमाम अहमद तिब्रानी, अबू दाऊद, नसाई इब्ने
माजा, खुजैमा, इब्ने हब्बान विगेर ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, अबू
हुरैरा, बरा इब्ने आज़िब, अबी ऊमामा तथा अनस इब्ने मालिक कुल पांच
(५) सनदों से रिवायत किया कि :-

“रसूले अकरम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि
“जहां तक अज्ञान की आपाज़ जाती है ऊतने अंतर (चोड़ाई) जितनी
मगफेरत मोअज्जीन के लिए आती है और जो भी सूखी (खुश्क) और
लीली (तर) वस्तु तक अज्ञान की आवाज पहोंचती है, वो तमाम वस्तुएं
उस अज्ञान देनेवाले के लिए मगफेरत मांगती हैं ।”

वर्णनीय हदीष से साबित हुआ कि जिस व्यक्ति की अज्ञान देने के
कारण मगफेरत कर देने में आई हो, उस व्यक्ति की दुआ शीघ्र होती है ।
और हदीषों में वर्णन है कि मगफुरो से दुआ करानी चाहिये ।

हृदीष :- इमाम अहमद 'मुरत्तनद' में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ऊमर
रदीअल्लाहो तआला अन्हुम से रिवायत करते हैं कि :-

“हुजूरे अकदस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि
“जब तूं हाजी से मिल तो उसे सलाम कर और उस से हाथ्यूमिस्लमूँ और
वो हाज़ी अपने घर में दाखिल हो, इस के पहले उस से अपने लिए
मगफेरत की दुआ करा, क्युंकि वो बख़श दिया गया है ।”

इसी तरह दफ्तर करने के बाद किसी नेक बंदे से अज्ञान दिलानी चाहिये,
ताकि हदीष के हुक्म अनूसार (इन्शाअल्लाह) उस अज्ञान कहेने वाले की
मगफेरत होगी, इस के बाद वो अज्ञान कहेने वाला मर्यैत के लिए हुआ
करे, क्युंकि मगफूर (बख़शा हुआ) की दुआ ज्यादा क्रबूल होती है । तो

इस तरह करने में कोन सा गुनाह है ?

दलील नं. १०

अज्ञान जिक्रे इलाही है और हर जिक्रे इलाही अज्ञाब को रोकता है ।

हृदीष :- इमाम अहमद ने मआज़ इब्ने जबल से तथा इब्ने अबीददुनिया तथा बयहकी ने इब्ने उमर रदीअल्लाहो तआला अन्हुम से रिवायत करते हंय कि :-

”हुज्जूरे अक़दम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम इशाद फरमाते हंय कि “अल्लाह के ज़िक्र से बढ़ कर कोई भी चीज़ अज्ञाब इलाही से बचाने वाली नहीं ।”

हृदीष :- कवीर में हज़रत मा'कल इब्ने यसार रदीअल्लाहो तआला अन्हो की हृदीष में बयान किया गया है कि :-

”हुज्जूरे अक़दस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फरतमाते हंय कि ”जिस जग़ाह (स्थान) पर अज्ञान कही जाती है, उस जग़ाह को अल्लाह तआला उस दिन के लिए अज्ञाब से सुरक्षित रखता है ।“

तो पुरवार हुआ कि अपने मो'मीन भाई के लिए ऐसा अमल (कार्य) करना के जो अमल उस मो'मीन भाई को अज्ञाब से बचाता हो, तो वो अमल निःशंक अल्लाह और रसूल को अति प्रिय है ।

★ मुल्ला अली क़ारी अलैहे रहमतुल बारी, अपनी मशहूर किताब “शरहे - अयनुल - इल्म” में कब्र के पास कुरआन पढ़ने, तस्बीह पढ़ने तथा दुआओं रहेमत व मगफ़ेरत करने की वसीयत कर के फरमाते हंय कि “फ़ - इन्नल - अज़कारा - कुल्लोहा - नाफ़ेअतुन फ़ी - तिलकद - दार” यानी जितने ज़िक्र हंय वो मैयत को कब्र में फ़ायदा पहोंचाते हंय ।

इमाम बदरुद्दीन महमूद अपनी किताब “अयनी शरहे सहीह बुखारी में कब्र के पास हृदीष बयान करने के प्रकरण में फरमाते हंय कि मैयत के लिए लाभ कर्ता है कि मुसलमान उस की कब्र के पास जमा हों और कुरआन शरीफ़ की तिलायत तथा ज़िक्र करें, उस से मैयत को फ़ायदा (सवाब) होता है ।

तो कब्र पर अज्ञान देने की मनाइ करने वाले इस पर सोचे कि

कब्र पर अज्ञान देना क्या ज़िक्र नहीं ?

या.....फिर.....मैयत को सवाब मिले ये उन्हें अच्छा नहीं लगता ।

दलील नं. ११

“अज्ञान” जिक्र मुस्तफा है और मुरत्तफा सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम का ज़िक्र करने से रहमत नाज़िल होती है । क्यूंकि हुजूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम का ज़िक्र वास्तव में ‘ज़िक्रे - खुदा’ है ।

★ इमाम इब्ने अत्ता तथा इमाम क़ाजी अयाज़ विगेरे महान इमामों ने कुरआन शरीफ की आयत “व - रफ़अना - लका ज़िकरक” की तफ़सीर में फरमाते हंय कि :-

“ए महेबूब ! (सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम) मैं ने आपको अपनी यादों में से अेक याद बनाया है और जो आप का ज़िक्र करता है, वो हक्कीकत में मेरा ही ज़िक्र करता है ।

विशेष में.....निःशंक, जिक्र इलाही की वजह से रहमत नाज़िल होती है, क्यूंकि ज़िक्र करनेवालों के बारे में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि :-

हृदीष :- “फरिश्ते उस ज़िक्र करनेवाले को धैर लेते हैं और खुदा की रहेमत उन को ढांक (छूपा) लेती है, और उन पर चैन और शांति उतारने में आती है । (मुस्लिम, तिर्मिज़ी)

विशेष में.....

खुदा के प्रत्येक नेक बंदे के ज़िक्र के पास खुदा की रहेमत नाज़िल होती है ।

★ इमाम सुफ़यान इब्ने ऊयना रहमतुल्लाहे तआला अलैहे फरमाते हंय कि “इन्दा - ज़िकरिरसालेहीना - तनज़्ज़लूल रहमतो” अर्थात् “नेक लोगों का ज़िक्र करने से खुदा की रहेमत नाज़िल होती है ।”

उपरोक्त कथन को अबू जा'फ़र इब्ने हसदान ने हज़रत अबू अम्र इब्ने नजीद से वर्णन कर के फरमाया कि ”फ़ - रसूलुल्लाहे - सल्लल्लाहो - अलैहे - वसल्लमा - रासुस - सालेहीना”

अर्थात् - रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम तमाम सालेहीन (नेक लोगों) के सरदार हैं ।"

लेहाजा.....जहां कहीं भी अज्ञान कही जायेगी वहां 'रहमते - इलाही' का आशमन होगा और मुसलमान भाई के लिए ऐसा काम करना कि जिस के कारण रहमत नाज़िल हो, ऐसा काम (कब्र पर अज्ञान) करने की शरीअत में मनाई करने में नहीं आई परंतु ऐसा काम पसंद किया गया है ।

दलील नं. १२

ये सर्व मान्य हकीकत भी है और हदीषों में भी आया है कि मुर्दे को उस तंग तथा अंधकारमय मकान (कब्र) में सरवत गभराहट होती है तथा डर भी लगता है । अज्ञान देने से गभराहट और डर दूर होता है और शांति प्राप्त होती है, क्युंकि अज्ञान 'ज़िक्रे खुदा है । अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि :-

"अला - बे - ज़िकरिल्लाहे - तत्मइन्नुल - कुलूब"

अर्थात्

"सुनलो, अल्लाह का ज़िक्र करने से दिलों को शांति मिलती है ।"

★ अबू नड्डम तथा इब्ने असाकिर ने हज़रत अबू हुरैरा रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत किया कि सरवरे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फरमाते हंय कि :-

"जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्मत से हिन्दुरत्तान की धरती पर आगमन हुआ और उन्हें सरवत गभराहट हुई, तो हज़रत ज़िब्रइल अलैहिस्सलाम ने आकर अज्ञान दी ।"

तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गभराहट दूर करने के लिए खुद हज़रत ज़िब्रइल ने अज्ञान दी, तो अगर हम कब्र में बैचैनी का अनुभव करने वाले हमारे मुर्दे की बैचैनी और गभराहट को दूर करने के नेक इरादे से अज्ञान देते हंय, इस में कौन सी बुराई है ?

यल्कि.....

ऐसे निःसहाय मुर्दों की सहायता करने को अल्लाह तआला बहुत पसंद फरमाता है ।

हृदीष :- इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिजी, इब्ने माजा तथा हाकिम नेवेहज़रत अबू हुरैरा (रदीअल्लाहो तआला अन्हुम) से रिवायत करते हंय कि हुजूरे अकदस सल्लल्लाहो अलह वसल्लम फरमाते हंय कि :-

“अल्लाह तआला बन्दे की मदद में है, जब तक बन्दा अपने मुसलमान भाई की मदद में है ।”

हृदीष :- शयख़ैन तथा अबू दाऊद ने हज़रत इब्ने उमर रदीअल्लाहो तआला अन्हुम से रिवायत किया कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम इशाद फरमाते हंय कि :-

“जो शर्वस अपने मुसलमान भाई की हाजत पूरी करने में रहता है, तो अल्लाह तआला उसकी हाजत पूरी करता है और जो किसी मुसलमान की तकलीफ दूर करता है तो उस के बदले में अल्लाह तआला क्यामत के दिन की मुसीबतों में से ओक मुसीबत दूर फरमाओगा ।”

दलील नं. १३

★ मुस्नदूल फ़िरदौस में हज़रत अमीरुल मोअमेनीन सय्येदेना अली मुर्तेज़ा रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत करते हंय कि :-

“ओक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने मुझे गम़ीन देखा । आप ने मुझ से इरशाद फरमाया कि ए अली । मैं आपको गम़ीन देख रहा हूं । आप अपने घर वालों में से किसी को कहो कि वों तुम्हारे कान में अज्ञान कहे, क्युंकि अज्ञान गम़ीनी को दूर करती है ।”

★ “मिश्कात” में अल्लामा इब्ने हजर से वर्णन करते हंय कि हज़रत अली तथा हज़रत अली तक के जितने भी इस हृदीष के रावी (वर्णनकर्ता) हंय, वो सब फरमाते हंय कि “फ़ - जरबतोहू - फ़ - वजदत्तोहू - क - जालेका” अर्थात् मैं ने इस को आज्ञामा कर देखा तो उसी मुताबिक अनुभव किया यानी कि गम़ीनी के समय अज्ञान देने से गम़ीनी दूर हो गई ।”

हृदीषों से पुरवार है कि उस वक्त यानी की दफ़न के तूरंत बाद

मैयत गमगीनी और परेशानी की हालत में होता हैं, तो मैयत की गमगीनी और परेशानी दूर करने के लिए अग्र अज्ञान देने में आओ तो क्या शरीअत में इस की मनाइ हैं ? नहीं बल्कि फ़र्ज़ अमलों के बाद मुसलमान भाई का दिल खुश करने जैसा कोई अमल खुदा के नज़दीक प्रिय नहीं ।

हृदीष :- तिब्रानी ने मोअज़्ज़म कबीर तथा मोअज़्ज़म अवसर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीअल्लाहो तआला अन्हुमा से रिवायत करते हंय कि :-

“फ़र्ज़ों के बाद के अमलों में मुसलमान का दिल खुश करना अल्लाह के नज़दीक ज्यादा प्रिय है ।”

हृदीष :- इमाम इब्नुल इमाम, सयैदना हसने मुजतबा रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि सरकारे दो जहाँ सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम इशाद फ़रमाते हंय कि :-

“तुम्हारे मुसलमान भाई का दिल खुश करने से मराफेरत की प्राप्ति होती है ।”

दलील नं. १४

अल्लाह तबारक व तआला कुरआन शरीफ में फरमाता है :-

“या - अय्युहल - लज़ीना - आमनूज - कुर्सल्लाहा - ज़िकरन - कबीरा”

अर्थात्

“ए इमानवालो । अल्लाह का ज़िक्र खुब करो ।”

हृदीष :- अहमद, अबू यअला, इब्ने हव्वान, हाकिम तथा बयहकी ने हज़रत अबू सईद खुदरी रहीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत किया कि :

“अकबरु - ज़िक्रल्लाहे - हत्ता - यकूलू - मज़नु - नल्लाहे” यानी अल्लाह का ज़िक्र इत्ता ज्यादा करो के लोग तुम्हे अल्लाह का मज़नू करें ।”

हृदीष :- कबीर में तिब्रानी ने हज़रत मआज़ इब्ने जबल रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत किया कि नबीये करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फ़रमाते हंय कि “ऊझकुरुल्लाह - इन्दा - कुल्ले - हज़रिप -

प - शज़रिन” यानी हर पथ्थर और वृक्ष के पास अल्लाह का ज़िक्र करो ।

★ हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीअल्लाहो तआला अन्हो फरमाते हंय कि अल्लाह तआला ने भी फ़राइज़ मुकर्रर किये हैं, उन तमाम की हद है और मज़वूरी की हालत में बन्दों को माफ़ी भी दी है, लेकिन ज़िक्र के लिए अल्लाह ने कोई हद नहीं मुकर्रर की के वो पुरा हो और किसी को भी उसका त्याग करने की परवानगी नहीं दी. अलवत्त, उन लोगों को ही फ़क्त माफ़ी दी गई है कि जिन की अकलें (बुद्धि) सलामत न हों । अल्लाह तआला ने बन्दे को आदेश दिया है कि हर दाल में उसका ज़िक्र करे ।

★ हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के शगिर्द हज़रत इमाम मुजाहिद फ़रमाते हंय कि “अज़ - ज़िकरूल - करसीरो - अन - ला - युतनाही - अबदन” यानी “ज़िक्रे कसीर वो है जो कभी ख़तम न हो”

उपरोक्त वर्णन द्वारा पुरवार हुआ कि हर जाह अल्लाह का ज़िक्र करना ऊमदा और प्रिय वात है । और जब तक शरीअत में उसके करने की मनाई न आई हो, वहां तक उसके करने से दरगिज़ मना नहीं कर सकते । अज़ान भी “ज़िक्रे - ख़ुदा” है और ज़िक्रे खुदा से मना करने का कारण क्या है ? वल्कि यहां तक हुक्म है कि हर पथ्थर ओर पेड़ (वृक्ष) के पास खुदा का ज़िक्र करो तो क्या मुसलमान मो'मीन की क़ब्र के पथ्थर इस हुक्म से बाद कर दिये गए हंय ?

दफ़न के बाद खुदा का ज़िक्र करना हदीषों से सावित है, और अइम्मओ-दीन के कथन अनुसार मुरत्तहव है । इमामे अजल, अबू सुलय्यमान ख़त्तावी क़ब्र के पास खड़े हो कर, “तलकीन” करने के अनुसंधान में फ़रमाते हयं कि” हमें इस के बारें में कोई मशहूर हदीष प्राप्त नहीं परंतु ऐसा करने में कोई हरज (वाध) नहीं है, क्युंकि इस में खुदा का ज़िक्र करना है, जो बहूत ही ऊमदा वात है ।

दलील नं ۱۴

हज़रत इमामे - अजल, अबू ज़करिया नववी, शारेह सहीह मुस्लिम किताबूल - अज़कार में फ़रमाते हंय कि :-

“मुरत्तहब है कि दफ़न करने के बाद क़ब्र के पास

इतनी दैर बैठना कि उस समय दरभियान एक ऊंट ज़ुबह (हलाल) कर के उसका गोश्त (मांस) वितरण (तक्रसीम) कर दिया जाए। और उस समय दरभियान कब्र के पास बढ़ने वाले तिलावते कुरआने पाक, मैयत के लिए दुआ, वअज़, नसीहत, नैक बंदों के ज़िक्र तथा हिदायत में व्यस्त रहें।

★ शयख़ मोहक़किङ्ग मौलाना अब्दुल हक्क मोहद्दिषे दहेल्वी (कुदेसा सिरहु) अपनी किताब “लम्भात शरहे, मिश्कात” में अमीरुल मोअमेनीन हज़रत उरमान गनी रदीअल्लाहो अन्हो द्वारा रिवायत की गई हदीष (जो दलील नं. ६ में प्रस्तुत की गई है) के अनूसंधान में फरमाते हंय कि विश्वास के साथ मैं ने अनेक आलिमों से सुना है कि “दफ़न करने के बाद कब्र के पास कोई फ़िक़ही - मरअला बयान करना मुस्तहब्ब है।

“अथअतुल - तम्भात” शरहे मिश्कात (फ़ारसी) में शाह अब्दुल हक्क मोहद्दिषे दहेल्वी उसका कारण ये बताते हंय कि “बाइसे - नुज़ूले - रहेमत - अरत्त” यानी “इस के कारण रहेमत नाज़िल होती है।”

विशेष में.....

★ वो फरमाते हंय कि “फ़र्ज़ मरअला बयान करना मुनासिब है”

★ ओरे वो फरमाते हंय कि “अग़र कुरआन शरीफ का खत्म करने में आओ तो ज्यादा उत्तम है”

वर्णनीय दलील से पुरवार हुआ कि ओलोमाओ किराम ने कब्र के पास नेक बंदों का ज़िक्र, सालेहीन का वर्णन, कुरआन शरीफ का खत्म, फ़िक़ह के मसाइल तथा फ़राइज़ के वर्णन कर ने को मुस्तहब्ब पुरवार किया है। इस की वजह (कारण) सिर्फ़ इत्नी है कि मैयत को रहेमत की हाज़त होती है और उपरोक्त कामों के करने से रहेमत नाज़िल होती है। हदाषों में है कि ‘अज़ान’ देने से रहेमत नाज़िल होती है। तो जब वर्णनीय काम मुस्तहष हंय, तो कब्र के पास अज़ान देना किस वजह से मुस्तहब्ब नहीं?

अल्हम्दोलिल्लाह। यहां तक कुल पंदरह (१५) दलीले पूरी हुआ।

और कब्र पर अज्ञान देने का सुवृत्त मिला ।

महत्व की नसीहतें

नसीहत नं. १

उपर वर्णन की गई दलीलें पढ़ने के बाद वांचक वर्ग खुदा की महान नेअमत के बारे में सोचें कि कब्र पर अज्ञान देने से मैयत को और अज्ञान देने वाले को किले फ़ायदे होते हैं ।

कब्र पर अज्ञान देने से मैयत को सात (७) फ़ायदे होते हैं ।

- १) अल्लाह की मदद से शैतान के फ़रैब से पनाह मिलेगी ।
- २) 'तकबीर' (अल्लाहो अकबर) कहने की बरकत से अज्ञाव से अमन मिलेगा ।
- ३) मुनकर - नकीर के सवालों के जवाब याद आ जायेंगे ।
- ४) 'अज्ञान' (ज़िक्र) के कारण कब्र के अज्ञाव से नजात मिलेगी ।
- ५) हुजूरे अकदस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के ज़िक्रे पाक की बरकत से रहेमत नाज़िल होगी ।
- ६) अज्ञान की बरकत से कब्र की ग़भराहट दूर होगी ।
- ७) अज्ञान की बरकत से ग़म (रंज) दूर होगा और खुशी तथा शांति मिलेगी ।

कब्र पर अज्ञान देनेवाले को कुल पंदरह, (१५) फ़ायदे होते हैं ।

अज्ञान देनेवाले को कुल पंदरह, (१५) फ़ायदे इस तरह होते हैं, सात (७) फ़ायदे तो उपर वर्णन किये । जो मैयत को होते हैं और वही सात फ़ायदे अज्ञान देनेवाले और ज़िक्र करने वाले जिन्दा लोगों को भी प्राप्त होते हैं । विशेष में अज्ञान देनेवालों को आठ (८) विशेष फ़ायदे मिलते हैं, यानी अज्ञान देनेवालों को कुल १५ (पंदरह) फ़ायदे होते हैं ।

अज्ञान देनेवालों को जो विशेष आठ (८) फ़ायदे होते हैं, वो निम्नलिखित हैं ।

- १) मैयत के फ़ायदे के लिए शैतान को दूर करने की तरकीब द्वारा सुन्नत की पावंदी हूँ ।
- २) मैयत को जवाब देने में आसानी हो, ऐसी कोशिश कर के सुन्नत की

पैरवी की, जिसका सवाब मिलेगा ।

- ३) कङ्ग के पास दुआ की । जिस की वजह से भी सुन्नत पर अमल हुआ।
- ४) मैयत को फ़ायदा पहोंचाने की नियत से कङ्ग के पास 'तकवीरे' (अल्लाहो - अकवर) कही । इससे भी सुन्नत पर अमल हुवा ।
- ५) 'अज्ञान' दे कर खुदा का ज़िक्र करने का सब ब मिला ।
- ६) मुर्त्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम का ज़िक्र किया । जिस की बरकत से रहमतें मिलेंगी ।
- ७) दुया करने के फ़जाइल हासिल हुओ और दुआ करना भी इवादत का महत्व का भाग है ।
- ८) अज्ञान देने के फ़ायदे मिले । मिसाल के तौरे पर जहां तक अज्ञान की आवाज़ पहोंचेगी वहां तक मगफ़ेरत तथा प्रत्येक खुशक (सुकी) और तर (भीनी) चीज़ें उस के लिए मगफ़ेरत की दुआ करेंगी । विशेष में दिल को सुकून और चैन प्राप्त होगा ।

अज्ञान में किन्ते वाक्य हैं ?

रसप्रद बात ये है कि अज्ञान में कुल सात (७) वाक्य (जूमले) हंय । और वो हरये ज़ैल हंय ।

१)	अल्लाहो अकवर	१ वाक्य
२)	अशहदो - अल - ला - इलाहा - इल्लल्लाह	१ वाक्य
३)	अशहदो - अन्ना - मुहम्मद - रसूलुल्लाह	१ वाक्य
४)	हय्या अलरसलात	१ वाक्य
५)	हय्या अलल फ़लाह	१ वाक्य
६)	अल्लाहो अकवर	१ वाक्य
७)	ला इलाहा इल्लल्लाह	१ वाक्य
		<hr/> <u>कुल.....७ वाक्य</u>

लेकिन.....

उपरोक्त सात वाक्य अज्ञान में इस्लामी कानून के मुताविक इस तरह कहे जाते हंय कि उसका टोटल पंदरह (१५) होता है ।

जैसे कि :-

- १) अल्लाहो अकवर

४ मरत्तवा

२)	अशहदो - अल - ला - इलाहा - इल्लल्लाह	२ मरतवा
३)	अशहदो - अन्ना - मुहम्मद - रसूलुल्लाह	२ मरतवा
४)	हय्या अलरसलात	२ मरतवा
५)	हय्या अलल फ़लाह	२ मरतवा
६)	अल्लाहो अकवर	२ मरतवा
७)	ला इलाहा इल्लल्लाह	१ मरतवा

कुल..... १५ मरतवा

तो सावित हुआ कि अज्ञान देने से मुर्दे को सात (७) और अज्ञान देने वाले को पंदरह (१५) फ़ायदे होते हंय, वो फ़ायदे हक़ीकत में उपर वयान किये गए सात (७) और पंदरह (१५) की वरकत है। लेकिन, सोचने की वात ये है कि क़ब्र पर अज्ञान देने की मना करनेवालों को मैयत और अज्ञान देनेवाले को इन सवाव के फ़ायदों से और वरकतों से मेहरुम रखने में कौन सा फ़ायदा नज़र आता है ?

हदीष में तो ताजदारे मदीना सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम् इरशाद फ़रमाते हंय कि "तुम में से जो कोई भी अपने मुसलमान भाई को फ़ायदा पहोंचाने की ताक़त रखता हो, उसके लिए जरुरी है कि वो अपने मुसलमान भाई को फ़ायदा पहोंचाओ।"

इपरोक्त हदीष में मुसलमान भाई को फ़ायदा पहोंचाने की संपूर्ण इजाजत प्राप्त होने के बावजूद भी क़ब्र पर अज्ञान देने की मनाई करने वाले किस विना पर मनाई कर रहे हंय, वो तो खुदा ही जाने।

नसीहत नं. २

हृदीष :- हज़रत अनस तथा हज़रत सहल इब्ने सअद रदीअल्लाहो अन्हुमा से रिवायत करते हंय कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहो अलैहे वराल्लम् फ़रमाते हंय कि :-

"निष्यतुल - मोअमिने - रव्यरस्म - मिन - अमलेहि"

अर्थात्

"मुसलमान की निष्यत उसके अमल से बहेतर है।"

(वयहकी तथा तिवानी)

जो शख़स "निष्यत का इत्तम" जानता है, वो सिर्फ़ एक काम करके अनेक नैकी हासिल कर सकता है। मिसाल के तौर पर कोई

सत्त्वत नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ चला और उसने सिर्फ नमाज अद्दूने की ही नियत की , तो उसका चलना बेशक्त बेहतर है । हर कदम पर उसे अंक नैकी मिलेगी और अंक अंक गुनाह माफ होगा, लेकिन जो सख्त 'इल्मे नियत' जानता है, वो इस एक नैकी को अनेक नैकीयों में पल्टा रखता है ।

यानी जो शख्स नमाज के लिए जाए, तो वो नमाज की नियत के साथ साथ नीचे लिखे गए कामों की भी नियत कर ले :-

- १) अरबल मकसद नमाज के लिए जा रहा हूं ।
- २) खुदा के घर (मस्जिद) की ज़ियारत करूँगा ।
- ३) इस्लाम की निशानी ज़ाहेर करूँगा ।
- ४) अल्लाह की तरफ बुलानेवाले (मोअज्ज़ीन) का अमली स्वीकार करूँगा ।
- ५) मस्जिद में से कुड़ा - कचरा दूर करूँगा ।
- ६) ऐअत़फ़ाक करने जाता हूं ।
- ७) फ्रमाने इलाही पर अमल करने जा रहा हूं ।
- ८) वहां जो आलिम मिलेगा उससे मसाइल पुछूँगा और दीन की बात शिखूँगा ।
- ९) जाहिलों को मसाइल बताऊँगा और दीन की तालीम दूंगा ।
- १०) जो शख्स इल्म में मेरा समकक्ष (बरोबरी का) होगा उसके साथ इल्म की चर्चा करूँगा ।
- ११) आलिमों की ज़ियारत करूँगा ।
- १२) नैक मुसलमानों का दीदार करूँगा ।
- १३) दोस्तों से मुलाकात करूँगा ।
- १४) मुसलमानों से मिलाप करूँगा ।
- १५) जो रिश्तेदार मिलेगा उसके साथ हस्ते चेहरे से मिलूँगा ।
- १६) अहेले इस्लाम को सलाम करूँगा ।
- १७) मुसलमानों से मुसाफ़ा (हस्तधून) करूँगा ।
- १८) जो मुझ को सलाम करेंगा उसका जवाब दूंगा ।
- १९) जमाअत के साथ नमाज पढ़ने में मुसलमानों की बरकतें

हासिल करूंगा ।

- २१) मस्जिद में दाखिल होते समय तथा
- २२) मस्जिद से निकलने के समय हुजूरे अकदस सल्लल्लाहो
अलैहे वसल्लम पर सलाम अर्ज करूंगा कि :-
“बिस्मिल्लाहे - अल - हम्दोलिल्लाहे - वस्सलामो - अला
रसूलिल्लाहे”
- २३) मस्जिद में दखिल होते समय तथा
- २४) मस्जिद से निकलने के समय हुजूर सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लम तथा अज़वाजे मुतहहेरात पर दस्त भेजूंगा कि :-
“अल्लाहुम्मा - सल्ले - अला - सय्यदेना - मुहम्मदिव - व - अला -
आले - सय्यदेना - मुहम्मदिव - व - अला - अज़वाजे - सय्यदेना -
मुहम्मद”
- २५) बिमार की मिजाज पुर्सी करूंगा ।
- २६) अगर कोइ गमी वाला मिलेगा तो ताज़ीयत करूंगा ।
- २७) जिस मुसलमान को छींक आयेगी और वो ‘अलहम्दोलिल्लाह’
कहेगा तो उसके जवाब में ‘यरहमोकल्लाह’ कहूंगा ।
- २८) अच्छी और नेक बातों का हुकम करूंगा ।
- २९) बुरी बातों से रोकूंगा ।
- ३०) नमाज़ी लोगों को वुजू का पानी दूंगा ।
- ३१) जो खूद मोअज्जिन हो या मस्जिद में कोइ मोअज्जिन
मुकर्रर
- ३२) न हो तो ‘अजान’ और ‘इकामत’ की निय्यत कर ले तो
अजान और इकामत देने का सवाब भी मिलेगा ।
- ३३) जो रास्ता भटका हुआ मिलेगा, उसे रास्ता बताऊंगा ।
- ३४) अन्धे की दस्तगिरी करूंगा ।
- ३५) अगर जनाज़ा मिलेगा तो नमाजे जनाजा पढ़ूंगा ।
- ३६) और अगर वक्त होगा तो दफ़न करने तक जाऊंगा ।
- ३७) दो मुसलमान में आपस में झगड़ा होगा, तो ‘सुलेह’ कराने

की कोशिश करूँगा ।

- ३८) मस्जिद में दाखिल होते समय पहले दायां पांच तथा
३९) मस्जिद से बाहिर निकलते समय पहले बायां पांच रख कर
सुन्नत पर अमल करूँगा ।
४०) रास्ते में लिखा हुआ कागज मिलेगा, तो उसे उठाकर अदब
के साथ रख दूँगा । (विग्रह विग्रह)

मुख्तसर ये कि जो शख्स उपरोक्त चालीस (४०) नैक इरादों के साथ घर से निकला है, वो सिर्फ नमाज ही के लिए नहीं जा रहा, बल्कि उपरोक्त चालीस (४०) नैक काम करने के लिए जा रहा है । तो उसका चलना इन चालीस नैक कामों की तरफ है और उसे हर कदम पर चालीस (४०) नैकीयां मिलेंगी ।

नसीहत नं. ३

कब्र पर अज्ञान देने की मुख्यालेफत करने वाले ज़ाहिल विरोधी यहाँ पर एक अतराज़ (टीका) ये भी करते हैं, कि अज्ञान तो नमाज़ का ऐलान करने के लिए कही जाती हय । यहाँ पर कौन सी नमाज़ होने वाली है कि जिस के लिए अज्ञान कही जा रही है ।

लेकीन.....

ये उनकी साफ़ जेहालत है जो उनको ही शोभा देती है । ये लोग इला भी नहीं जानते कि अज्ञान देने में क्या क्या फ़ायदे हंय और शरीअत ने नमाज़ के इलावा वहोत सी जगह अज्ञान देने को मुर्त्तहव फ़रमाया है ।

मिसाल के तोरे पर ग़म़ीनी के वक्त कान में अज्ञान देना या ग़भराहट दूर करने के लिए अज्ञान देना जाइज कहा गया है । जिस की विस्तृत माहिती देखना हो तो मेरी लिखी हुई किताब “नसीमुरस्सबा - फी - अद्वल - अज्ञाना - यहवेलुल - वका“ (हि.स. १३०२) का वाचन करें ।

ये किताब महोरंग शरीफ के अंत में सन हिजरी १३०७ में पूर्ण हुई।

वल - हम्दो - लिल्लाहे - रब्बिल - आलमीन
वरसलातो - वरसलामो - अला - सय्योदिल - मुरस्सेलीना

- मुहम्मदिंव - व - आलेहि - व - अरहाबेहि - अजमङ्गन -
“आमीन”

महोरंम शरीफ

सन हिजरी १३०७

अबदहुल मुज़निब

अब्दुल मुस्तफ़ा अहमद रज़ा बरेल्वी

(ओफिया अन्हो के मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा
नवीयील उम्मीये सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम)

★ - असल किताब यहा पर पूरी हो गई - ★

अनूवादक द्वारा

“(इंट का जवाब पथ्थर से)”

★ कब्र पर दफ़न के बाद अज्ञान देने की वहावी - देवदंदी - तबलीगी वग़़ द्वारा सख्ती से मना करने में आती है। जब उनसे मना करने का कारण पूछने में आता है तो कहते हैं कि अज्ञान के बाद नमाज होनी चाहिये ओर अब तो मुर्दा दफ़न हो चुका है। अब कौन सी नमाज वाकी है ?

इन लोगों के इस कथन का जवाब ये हैं कि इस किताब में आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा मोहद्दिषे वरेल्वी (रहमतुल्लाहे अलैहे) ने सहीह हदीषों तथा आधारभूत कितावों के हवालों द्वारा पुरवार कर दिया है कि नमाज के इलावा बहुत सी जगह और परिस्थिति में सिर्फ़ अज्ञान कही जाती है, और उस अज्ञान के बाद नमाज नहीं है।

मिसाल के तोरे पर

★ दलील नं. १ :- में शयतान का खटका (दखल) दूर करने के लिए अज्ञान देने का हदीष में आदेश है। उस अज्ञान के बाद नमाज नहीं।

★ दलील नं. १२ :- में वर्णन है कि डर और गमराहट अज्ञान देने से दूर होते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गमराहट दूर करने के लिए हज़रत जिब्रइल अलैहिस्सलाम ने अज्ञान कही थी। इन अज्ञानों के बाद भी नमाज नहीं। सिर्फ़ अज्ञान ही अज्ञान है।

★ दलील नं. १३. :- में हज़रत अली रदीअल्लाहो अन्हो

की गमगीनी दूर करने के लिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने हज़रत अली को कान में किसी द्वारा अज्ञान कहेलवाने का इरशाद फरमाया । और इस इरशाद के अनूकरण में कइ सहाबा - ए - किराम - रिदवानुल्लाहे अलैहिम अजमइन ने अपनी गमगीनी दूर करने के लिए अज्ञान देने का अमल किया । इन अज्ञानों के बाद भी नमाज़ नहीं । सिर्फ़ अज्ञान है बल्कि हदीष में सिर्फ़ कान में अज्ञान देने का फरमान है, उस अज्ञान के बाद नमाज़ का आदेश नहीं दिया गया ।

★ अगर हर अज्ञान के बाद नमाज़ जरूरी मान ली जाए तो जुम्मा के दिन, जुम्मे की नमाज़ के चकत दो मरतजा अज्ञान दी जाती है और नमाज़ तो सिर्फ़ एक ही होती है । जब अज्ञाने दो (२) होती हंय तो फिर नमाज़ भी दो (२) होनी चाहिये । लेकिन नमाज़ सिर्फ़ अेक होती है । अेक अज्ञान की नमाज़ कहां गइ ? हो सकता है कि तबलीगी जमाअत का कोई अनूयायी ये जवाब दे कि जुम्मा के दिन जो दो अज्ञान होती हैं उसमें से एक अज्ञान नमाज़ के लिए है और दूसरी अज्ञान खुत्बे के लिए है ।

तो इस का जवाब ये है कि अगर एक अज्ञान खुत्बे के लिए है तो उसका मतलब ये हुआ कि खुत्बे के लिए भी अज्ञान जरूरी है । तो फिर इद के दिन खुत्बे से पहले अज्ञान क्यूँ नहीं दी जाती ?

★ कइ मरतवा जब भयंकर विमारी (प्लेग वि.) फैल जाता है । या कभी आग सैलाब (बाढ़) जैसी आफ़त आ जाती है और समग्र जनसमूदाय बेचैनी और ग़ाभराहट का अनूभय करता है । ऐसे ग़ाभराहट के समय अज्ञान देने को बुजुर्गाने - दीन ने मुस्तहब कहा है । इन अज्ञानों के बाद भी नमाज़ नहीं । सिर्फ़ अज्ञान ही अज्ञान है ।

★ अगर मान लिया जाओ कि हर अज्ञान के बाद नमाज़ जरूरी है, तो इस का एक मतलब ये भी हो सकता है कि हर नमाज़ से पहले अज्ञान आवश्यक है । क्युंकि अज्ञान के बाद नमाज़ को जरूरी ठहरा कर अज्ञान और नमाज़ का संबंध लाजिम और मलजूम का कर दिया, यानी कि इन दोनों में से किसी एक की उपस्थिती में दूसरे का अस्तित्व सिर्फ़ जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य हो गया । तो फिर इद की नमाज़, चाश्त की नमाज़, इश्राक की नमाज़, अब्बाबीन की नमाज़, तहज्जुद की नमाज़ तथा अन्य नमाज़ों से पहले अज्ञान क्यूँ नहीं दी जाती ?

अज्ञान के बाद नमाज़ को जरूरी समझने की हठधर्मी करने वालों को सिर्फ़ इला ही कहना है कि जब तुम हर अज्ञान के बाद नमाज़ को

जरूरी समझते हो, तो फिर हर नमाज से पहले अज्ञान को जरूरी क्यूँ नहीं समझते ? ये One way (एक दिशा) क्यूँ ?

अंत में सिर्फ इत्ना कहेना है कि अगर कब्र पर दफन के बाद अज्ञान देना मना है, तो वो मना का कारण क्या है ? और कब्र पर अज्ञान देने से कौन सा गुनाह लाजिम होंगा ? शिर्क, कुफ्र, हराम, ना-जाइज़, बिदअत, मकरुह या अन्य कोई ? बहोत बहोत तो यही कहेंगे कि बिदअत हैं । तो अगर बिदअत है तो कौन से प्रकार की बिदअत है ? बिदअते अतकादी ? बिदअते अमली ? बिदअते हसना ? बिदअते सय्येअह ? बिदअते मकरुह ? बिदअते हराम ? बिदअते जाइज़ ? बिदअते मुरतहव ? या बिदअते वाजिब ?

लेकिन.....

ये तो साफ सावित है कि कब्र पर अज्ञान देने से रोकना, और रोकने के लिए जबरदस्ती, शिद्वत (अतिश्वयोकित) करना और मार - पीट तथा झगड़े-फ़साद तक मामले को पहाँचा देना और मुसलमानों में फ़िल्मा खड़ा करना निःशंक गुनाह है । कुरआन और हदीषों में मुसलमानों के दरमियान फ़िल्मा खड़ा करने की सख़त मनाई की गई है और ऐसा करने वाले का सख़त गुनाह और अज्ञाब की चेतावनी (वइद) दी गई है । मुसलमानों में फूट डलवाना मो'मीन का नहीं बल्कि मुनाफ़िक का काम है ।

एक बात की भी यहाँ पर वज़ाहत (स्पष्टिकरण) कर लें कि अगर किसी शहर या गांव में दफन के बाद अज्ञान देने की रस्म (प्रणलिका) है और उसको तबलीग जमाअत वालों ने बंध करा भी दिया, तो क्या किया ? सिर्फ यही नां कि अल्लाह का नाम लेने से लोगों को रोका । इस से विशेष कुछ नहीं । कोई बहादूरी का काम तो नहीं । अल्लाह के बन्दों को अल्लाह का नाम लेने से रोका । और अल्लाह का नाम लेने से रोकने का काम किस का है ? इस का फ़ैसला खुद वांचक ही करें । ज्यादा अफ़सोस की बात तो ये है, कि मजहब की आड (सहारा) लेकर अल्लाह का नाम लेन से रोकने की चेष्टा की जा रही है और मुसलमानों में आपस में ना इत्तेफ़ाकी फैलाइ जा रही है ।

ज़िक्र रोके, फ़ज़ल काटे, नुकस का जोयां रहे,
फिर करे मरदक के हूं, उम्मत रसूलुल्लाह की ।

(अज़ :- आला हज़रत)

खुदा - अे - तआला अपने हवीबे पाक व महेबूबे आजम
सल्ललाहो अलैहै वसल्लम के सदके में हर मोमीन मुसलमान को शैतान
के मक्कौ - फ़रैव से बचाओ और मज़हबे हक पर कायम रहेने और चलने
की तौफीक अता फ़रमाओ ।

आमीन ॥

नंगांक :

२३-८-१९९६

नुम्मा मुवारक

स्थल :- नागपूर

‘बारगाहे ‘रज़ा’ का अदना सवाली
अद्वुस्सत्तार हमदानी - पोरवंदर
(वरकाती - रज़वी - नूरी)

मुजदिदे अअज़म इमामे अहले सुन्नत, अअूला हज़रत
इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरेलवी अलैहिरहमा
का तर्जमए कुरआन

कंजुल ईमान

और

हज्ज व ज़ियारत

हिन्दी में शाया होकर मंज़रे आम पर आ चुका है।

नाशिर : रज़ा एकेडमी

२६, कांवेकर स्ट्रीट, मुम्बई-३. फोन नं.: ३७३७६८७-३७०२२९६

मिलने का पता : फ़ारूकिया बुक डिपो

४२२, मटिया महल, जामेअ मस्जिद, दिल्ली - ६ फोन - ३२६६०५३

रजा एकेडमी मुंबई की हिन्दी मतबूआत

नाम किताब	तम्नीफ
१. कंजुल ईमान फ़ी तर्जमतिल कुरआन	यज्यदूना अभूला हज़रत अल्लाहरहमा
२. अनवारुल विशागह (हज़ज व ज़ियारत)	" " "
३. मज़ाराते औलिया पर गैशनी	" " "
४. शाने हज़र गौणी अअज़म	" " "
५. मवूत हिलाल के तरीके	" " "
६. मीलादे मुस्तफ़ा	" " "
७. ममाइले वुज़ू	" " "
८. फ़ातिहा का सवूत	" " "
९. अक्राएंदे हक्का	" " "
१०. तिजारत का जाइज तरीका	" " "
११. दअूवते मय्येत	" " "
१२. इल्मे गैवे रसूल	" " "
१३. खिज़ाव का मसअला	" " "
१४. अज़ाने कब्र	" " "
१५. मेहमान नवाज़ी के फ़ज़ाइल	" " "
१६. निदाए या रसूलल्लाह	" " "
१७. इरफ़ाने शरीअत	" " "
१८. इमामते सिद्दीक़ व अली	" " "
१९. अहकामे तस्वीर	" " "
२०. नजात नामा	" " "
२१. झूटे रसूल का नया कलिमा	" " "
२२. ज़बीहे इसाले सवाब	" " "
२३. बुजुगने दीन से इस्तिआनत	" " "
२४. जमाले मुहम्मद मुस्तफ़ा	मुहम्मद शमीम अंजुम नूरी
२५. हमारे अभूला हज़रत	मुहम्मद शमीम अंजुम नूरी

रजा एकेडमी मुंबई की हिन्दी मतबूआत

नाम किताव	तस्नीफ
१. कंजुल ईमान फ़ी तर्जमतिल कुरआन	गयदुना अभूला हजरत अलौहरहमा
२. अनवारुल विशारह (हज्ज व जियारत)	" " "
३. मजाराते औलिया पर रौशनी	" " "
४. शाने हुजूर गौसे अभूजम	" " "
५. मवूत हिलाल के तरीके	" " "
६. मीलाद मुस्तफ़ा	" " "
७. ममाइले बुज़ु	" " "
८. फ़ातिहा का सबूत	" " "
९. अकाएंदे हक्का	" " "
१०. तिजारत का जाइज तरीका	" " "
११. दअवते मय्येत	" " "
१२. इल्मे गैवे रसूल	" " "
१३. खिज़ाब का मस्अला	" " "
१४. अज़ाने कब्र	" " "
१५. मेहमान नवाज़ी के फजाइल	" " "
१६. निदाए या रसूलल्लाह	" " "
१७. इरफाने शरीअत	" " "
१८. इमामते सिद्दीक़ व अली	" " "
१९. अहकामे तस्वीर	" " "
२०. नजात नामा	" " "
२१. झूटे रसूल का नया कलिमा	" " "
२२. ज़वीहे इमाले सवाब	" " "
२३. बुजुर्गाने दीन से इस्तिआनत	" " "
२४. जमाले मुहम्मद मुस्तफ़ा	मुहम्मद शर्मीम अंजुम नूरी
२५. हमारे अभूला हजरत	मुहम्मद शर्मीम अंजुम नूरी